

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	देवास एवं सीहोर जिले में बुदनी—इन्दौर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास वन मण्डल की 45.715 हेक्टेयर वनभूमि एवं सीहोर वन मण्डल की 24.920 हेक्टेयर वनभूमि कुल 70.635 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 70.775 हे.) रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:— 20/09/2023

स्थान:— भोपाल।


(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र.